फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, क्षैत्रीय कार्यालय – माली समाज, छात्रावास रोड, हीरो शोरूम के पास, सिरोही (राज.) तथा शाखा कार्यालय – उपली ओडन, राजसमन्द (राज.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री रमेश कुमार लालावत

–प्रार्थी / सिक्योर कैडिटर

बनाम

1. मैसर्स कार्तिकेय किराणा स्टोर (प्रो. – श्री हीरालाल कीर पिता वरदीचन्द कीर) गावं व पोस्ट – उपली ओडन, तहसील – नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.) **–ऋणी**
2. श्री वरदीचन्द कीर पिता श्री उदयलाल कीर गावॅ व पोस्ट – उपली ओडन, तहसील – नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.) **– जमानती**

–अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 51 / 2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 07.12.2021 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा – उपली ओडन, राजसमन्द ने दिनांकः 12.10.2021 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से जरिये ऋण करार संख्या 11342068991 के द्वारा रू. 5,00,000 / – रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पत्ति :– श्री वरदीचन्द कीर पिता श्री उदयलाल कीर के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय संपत्ति का पट्टा नं. – 61, दिनांक 14.02.2013 जिसका क्षैत्रफल 1338.75 वर्गफीट है जो कि गावॅ का चौरा, गावॅ एवं पोस्ट – उपली ओडन, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द में स्थित हैं, को प्रार्थी बैंक के पास रहन किया। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी बैंक के उक्त ऋण का भुगतान समय पर नही कर सके और दिनांक 28.10.2018 ऋण के भुगतान के व्यक्तिक्रम डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन.पी.ए. घोषित कर दिया हैं। प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या 11342068991 में बकाया रूपये 2,53,579 / – अक्षरे दो लाख तरेपन हजार पॉच सौ उन्नयासी मात्र बकाया रकम व ब्याज दिनांक 03.03.2020 तक शेष व देय निकलते हैं की मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 03.03.2020 को एक नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. डाक के माध्यम से अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पतो पर प्रेषित किये जो कि अप्रार्थीगण को तामील हो गये। परन्तु धारा 13(2) के नोटिस	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नही किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 श्री वरदीचन्द कीर पिता श्री उदयलाल कीर ने प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्नभुगतान के लिए जो सम्पत्ति बंधक रखी हैं। उसका प्रार्थी बैंक में रहन दस्तावेजो के अनुसार विवरण इस प्रकार हैं – श्री वरदीचन्द कीर पिता श्री उदयलाल कीर के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय संपत्ति का पट्टा नं. – 61, दिनांक 14.02.2013 जिसका क्षैत्रफल 1338.75 वर्गफीट है जो कि गावॅ का चौरा, गावॅ एवं पोस्ट – उपली ओडन, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द में स्थित हैं तथा जिसकी चारो सीमाऍ निम्न है :– पूर्व में :– आम रास्ता एवं स्वयं का मकान, पश्चिम में :– श्री लालूराम कीर पिता श्री लक्ष्मण का मकान, उत्तर में :– श्री मोहनलाल पिता श्री गंगाराम कीर का मकान, दक्षिण में :– श्री बाबू लाल पिता श्री उदा लाल का मकान।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 03.03.2020 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे एवं पोस्ट आफिस की डीलेवरी रिपोर्ट की प्रति पेश की गयी।

आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा – उपली ओडन, राजसमन्द द्वारा मैसर्स कार्तिकेय किराणा स्टोर (प्रो. – श्री हीरालाल कीर पिता वरदीचन्द कीर) गावॅ व पोस्ट – उपली ओडन, तहसील – नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.) को राशि रूपये 5,00,000/– का ऋण स्वीकृति किया था उक्त ऋणी/जमानतदार से बैंक को राशि 2,53,579/– दिनांक 03.03.2020 तक वसूल करना हैं। जिसके पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे ऋणी/जमानतदार ने अपनी अचल सम्पत्ति :– श्री वरदीचन्द कीर पिता श्री उदयलाल कीर के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय संपत्ति का पट्टा नं. – 61, दिनांक 14.02.2013 जिसका क्षैत्रफल 1338.75 वर्गफीट है जो कि गावॅ का चौरा, गावॅ एवं पोस्ट – उपली ओडन, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द में स्थित हैं तथा जिसकी चारो सीमाऍ निम्न है :– पूर्व में :– आम रास्ता एवं स्वयं का मकान, पश्चिम में :– श्री लालूराम कीर पिता श्री लक्ष्मण का मकान, उत्तर में :– श्री मोहनलाल पिता श्री गंगाराम कीर का मकान, दक्षिण में :– श्री बाबू लाल पिता श्री उदा लाल का मकान।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा – उपली ओडन, राजसमन्द के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा – उपली ओडन, राजसमन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द